संख्या-653/2025/आई/1166609/23-1-25/23-1002(002)/344/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ :दिनांक 08 दिसम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 12 मार्गों की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत **विभिन्न जनपदों के कुल 12 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु कुल स्वीकृत लागत रू0 10,00,73,000/- (रूपये दस करोड़ तिहत्तर हजार मात्र) में जी0एस0टी0 की अतिरिक्त धनराशि कुल रू0 34,16,000/- (रूपये चौंतीस लाख सोलह हजार मात्र) को जोड़ते हुए कुल लागत रू0 10,34,89,000/- ((रूपये दस करोड़ चौंतीस लाख नवासी हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र सं0 व दिनांक	जनपद/ खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश	स्वीकृत लागत	अतिरिक्त जीएसटी हेतु की धनराशि	पुनरीक्षित कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2088सी/02सी/3054 /जीएसटी/मध्य क्षेत्र/25-26, दिनांक 24.11.2025	निख रामपुर	बैरूआ से चन्दपुर खुर्द मार्ग के किमी 1 में राजेड़ा नदी पर 60 मी0 वेन्टिड काजवे का निर्माण का कार्य।	58 /2021 /349 रासनि /23-1-21-72 रासनि/20 दि0 24.02.2021	102.250	3.06	105.31
2	2088सी/02सी/3054 /जीएसटी/मध्य क्षेत्र/25-26, दिनांक 24.11.2025	प्राख सीतापुर	बेलवा गोहनिया किमी0 3 से सिमरिया सम्पर्क मार्ग	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दि- 07.01.2022	70.98	2.37	73.35
3	2088सी/02सी/3054 /जीएसटी/मध्य क्षेत्र/25-26, दिनांक 24.11.2025	प्राख सीतापुर	बजेहरा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दि- 07.01.2022	55.70	2.79	58.49
4	2088सी/02सी/3054 /जीएसटी/मध्य	प्राख सीतापुर	बिसवा लहरपुर मार्ग खैरूलापुर सम्पर्क मार्ग	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10	72.47	2.13	74.6

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र सं0 व दिनांक	जनपद/ खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश	स्वीकृत लागत	अतिरिक्त जीएसटी हेतु की धनराशि	पुनरीक्षित कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
	क्षेत्र/25-26, दिनांक 24.11.2025		की विशेष मरम्मत का कार्य।	रासनि/21 टीसी-2 दि-07.01.2022			
5	2088सी/02सी/3054 /जीएसटी/मध्य क्षेत्र/25-26, दिनांक 24.11.2025	प्राख सीतापुर	भोलागंज साण्डा सकरन मार्ग से लखवाबेहड़ संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दि-07.01.2022	47.39	1.22	48.61
6	2088सी/02सी/3054 /जीएसटी/मध्य क्षेत्र/25-26, दिनांक 24.11.2025	प्राख सीतापुर	ईटगॉव सम्पर्क मार्ग	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दि-07.01.2022	50.67	2.02	52.69
7	2088सी/02सी/3054 /जीएसटी/मध्य क्षेत्र/25-26, दिनांक 24.11.2025	प्राख सीतापुर	समेशरीपुरवा से चन्दौली घाट वाया बजरंगगढ़ भटपुरवा सम्पर्क मार्ग	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दि-07.01.2022	51.60	1.52	53.12
8	2088सी/02सी/3054 /जीएसटी/मध्य क्षेत्र/25-26, दिनांक 24.11.2025	प्राख सीतापुर	नकहा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दि-07.01.2022	137.63	3.66	141.29
9	2088सी/02सी/3054 /जीएसटी/मध्य क्षेत्र/25-26, दिनांक 24.11.2025	प्राख सीतापुर	राजेपुर क्योटाना सम्पर्क मार्ग	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दि-07.01.2022	60.88	2.60	63.48
10	2141सी/02सी/3054 /जीएसटी/भाग-2/25-26, दिनांक 27.11.2025	प्रा0ख0 इटावा	कर्री छिमारा मार्ग से नगला चतुरी नगला बाबा मार्ग	23/2016/206 रासनि/23-1-17-37रासनि/17 दिनांक 30.03.2017	91.44	3.42	94.86
11	2141सी/02सी/3054 /जीएसटी/भाग-2/25-26, दिनांक 27.11.2025	प्रा0ख0 इटावा	जसवन्तनगर सैफई लरखौर अमरसीपुर मार्ग	23/2016/206 रासनि/23-1-17-37रासनि/17 दिनांक 30.03.2017	191.85	6.66	198.51
12	2138सी/02सी/3054 /जीएसटी/अलीगढ़/25-26, दिनांक 27.11.2025	नि0ख0-1 एटा	निधौली जलेसर मार्ग से नगला गोपाल होतेह हुए मींसा के पुल तक मार्ग पर विषेष मरम्मत का कार्य।	39 /2021 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दि-07.01.2022	67.87	2.71	70.58
				कुल योग-	**1000.73**	**34.16**	**1034.89**

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(7) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(8) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(9) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(11) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) उक्त परियोजना हेतु मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक जारी उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के ''लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05-राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण-00-29-अनुरक्षण'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के का कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-653/2025/आई/1166609 (1)/23-1-25/23-1002(002)/344/2025-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
5- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।